समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

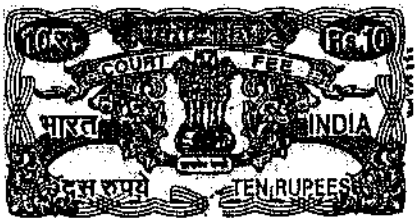

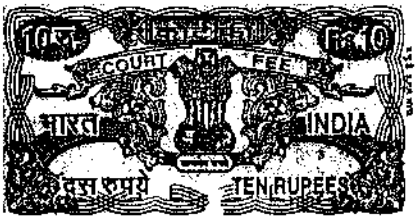

RAJ - 72 - PBR 16

चंद्रभानसिंह आ0 श्री मूरतसिंह
निवासी मीनाक्षी टाकिज के पास होशंगाबाद तह. व जिला होशंगाबाद.....आवेदक

विरूद्ध

1.श्रीमति उमा शिवहरे पुत्री द्वारकाप्रसाद शिवहरे
निवासी वार्ड नंबर 9 बालागंज मोहल्ला होशंगाबाद
2. तहसीलदार महोदय होशंगाबाद.....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत

आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण कमांक 182/अपील/2013-2014 उमा शिवहरे विरूद्ध चंद्रभान सिंह में पारित आदेश दिनांक 29.10.2015 जो कि अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के न्यायालय के राजस्व प्रकरण कमांक 103/अपील/2012-2013 उमा शिवहरे विरूद्ध चंद्रभानसिंह में पारित आदेश दिनांक दिनांक 09.10.2014 से उत्पन्न हुआ, के विरूद्ध असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करता है:-

आधार एवं कारण

1. यह कि विद्वान निम्न न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की गंभीर भूल की है इस कारण पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

2. यह कि निम्न न्यायालय ने उत्तरवादी की ओर से प्रस्तुत अपील को नहीं समझ पाने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है उन्हें देखना चाहिए था कि उत्तरवादी उमा शिवहरे ने करीब 16 वर्ष पूर्व ग्राम मालाखेडी तह. होशंगाबाद स्थित भूमि खसरा नंबर 363/9, खसरा नंबर 364/9 खसरा नंबर 365/9, खसरा नंबर 366/9, खसरा नंबर 367/9 रकवा 0.081 हे. में से रकवा 0.036 हे. भूमि पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26.10.1999 के माध्यम से कय की है और संशोधन पंजी कमांक 42 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2000 के आधार पर राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज हुआ है । उत्तरवादी द्वारा जिस विकय पत्र से भूमि कय की गई है उस विकय पत्र में भूमि का रकवा 3600 वर्गफिट बेचे जाने का उल्लेख है ।

3. यह कि निम्न न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग को यह देखना चाहिए था कि विकय पत्र दिनांक 26.10.1999 में दर्शाये अनुसार कुल विकय की गई 3600 वर्गफिट भूमि पर उत्तरवादी का नाम दिनांक 16.06.2000 को दर्ज किया गया । उत्तरवादी का नाम दर्ज किये जाने के आधार पर उत्तरवादी ने भूमि का डायवर्सन कराया और भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त कर भवन का निर्माण करावा गया । इस तरह उत्तरवादी की जानकारी में इस तरह

R 72-PBR/16 होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27.1.2016	आवेदक की ओर से श्री संदीप दुबे अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। आयुक्त के आदेश दिनांक 29.10.2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आयुक्त द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया है, जबकि म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 49 में संशोधन किया जाकर, अपीलीय प्राधिकारी के प्रकरण 'प्रत्यावर्तन' की शक्तियां समाप्त कर दी गई हैं। अतः आयुक्त का आदेश अधिकारिता रहित होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम निराकरण करें। अध्यक्ष	

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.